परिपत्र संख्या-विधि/जी0एस0टी0अपील/कं0परि0सं0-2223024 /2022-23/ 264 /राज्य कर ।

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0।
(विधि अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 13 जुलाई, 2022

समस्त,
अपर आयुक्त ग्रेड-1
अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील)
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय: प्रान्तीय अधिनियम की धारा-107 के अन्तर्गत दाखिल की जाने वाली अपील के सम्बन्ध में।

न्याय निर्णयन अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे प्रान्तीय अधिनियम कहा गया है) / केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 / एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 / माल एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत पारित आदेशों / निर्णयों से क्षुब्ध व्यक्ति द्वारा प्रान्तीय अधिनियम की धारा-107 की उपधारा (1) एवं उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के तत्सम्बन्धी नियम-108 के उपनियम (1) के अन्तर्गत FORM GST APL 01 में विहित रीति से आनलाईन अपील दाखिल किए जाने एवं जिस आदेश / निर्णय के विरुद्ध अपील योजित की जा रही है उसकी सत्यापित प्रति को FORM GST APL 01 दाखिल किए जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर उपनियम (3) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। प्रान्तीय अधिनियम की धारा-107 (1) के अन्तर्गत दाखिल की जाने वाली आनलाईन अपीलों से सम्बन्धित नियमानुसार वांछित प्रपत्रों की हार्ड कॉपी को अपील कार्यालय में प्रस्तुत किए जाने पर उसकी पावती (प्राप्ति रसीद) दिए जाने के सम्बन्ध में प्रदेश के न्यायिक सम्भागों में एकरूपता नहीं है।

2. प्रान्तीय अधिनियम के अन्तर्गत दाखिल की जाने वाली अपीलों की प्राप्ति रसीद जारी किए जाने एवं अपील के निस्तारण सम्बन्धी विवरणों की प्रविष्टि अपीलीय कार्यालय में तैनात मुन्सरिम द्वारा किए जाने हेतु आई0टी0 अनुभाग, मुख्यालय द्वारा एक माड्यूल विकसित किया गया है।

3. अपीलीय अधिकारी की संस्तुति पर जोन में कार्यरत लोकल एडमिन द्वारा अपील कार्यालय में तैनात मुन्सरिम को उक्त माड्यूल पर कार्य किए जाने हेतु लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड प्रदान किया जाएगा।

4. प्रान्तीय अधिनियम के अन्तर्गत दाखिल एवं लम्बित समस्त अपील के विवरणों की प्रविष्टियां उक्त माड्यूल में दिनांक 31-07-2022 तक पूर्ण कर ली जाये एवं प्राप्त होने वाली अपीलों की प्राप्ति रसीद उक्त माड्यूल से ही जारी की जाए।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

13/7/2022
(मिनिस्ती एस.)
आयुक्त
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।